Part-I
A

| न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश: अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलात, चूरू (राजस्थान)<br>पीठासीन अधिकारी – कमल सोनी, (RJS)<br>निर्णय – 19-08-2026<br>सेशन प्रकरण संख्या – 26/2021<br>सीएनआर संख्या – RJCH010001692021<br>(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 26/2020 पी.एस. सरदारशहर ) | |
|---|---|
| Complainant | राजस्थान राज्य |
| PRESENTED BY | श्री अशोक नागर, योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक |
| ACCUSED | 1-हरिराम गोदारा पुत्र आशुराम निवासी पाटमदेसर पुलिस थाना, सरदारशहर जिला-चुरु (राज.)<br>2-आमीन पुत्र अली खां निवासी घड़सीसर पुलिस थाना, सरदारशहर जिला-चूरू (राज.) |
| REPRESENTED BY | श्री बाबुलाल सैनी, योग्य अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से |

B

| | |
|---|---|
| Date of Offence | 16-01-2020 |
| Date of FIR | 17-01-2020 |
| Date of Chargesheet | 19-01-2021 |
| Date of Framing of Charges | 10-11-2021 |
| Date of commencement of evidence | 15-09-2025 |
| Date on which judgment is reserved | 19-08-2026 |
| Date of the Judgement | 19-08-2026 |
| Date of the Sentencing Order, if any | |

**C: ACCUSED DETAILS**

| Rank of the Accused | Name of Accused | Date of Arrest | Date of release on bail | Offences charged with | Whether acquitted or convicted | Sentence imposed | Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरिराम गोदारा | 05-03-2020 | 21-04-2020 | धारा 366, 376d IPC एवं 3(2)(v) SC/ST | दोषमुक्त किया गया | -- | 05-03-2020 to 21-04-2020 |

Authenticate Document

| | | | | Act | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | आमीन | 19–01–2020 | 21–04–2020 | धारा 366, 376d IPC एवं 3(2)(v) SC/ST | दोषमुक्त किया गया | | 19–01–2020 to 21–04–2020 |

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

| Rank | Name | Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness) |
|---|---|---|
| PW. 1 | पीड़िता का भाई | नक्शा मौका हालात मौका व पुलिस बयान |
| PW.2 | पीड़िता | लिखित रिपोर्ट |
| PW.3 | पीड़िता की माता | पुलिस बयान |
| PW.4 | पीड़िता का भाई | पुलिस बयान |
| PW.5 | पीड़िता का पिता | पुलिस बयान |
| PW.6 | गुलाबाराम | नक्शा मौका |
| PW.7 | गिरधारीलाल शर्मा | अनुसंधानकर्ता अधिकारी |

B. Defence Witnesses, If any:

| Rank | Name | Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness) |
|---|---|---|
| – | – | – |

C. Court Witnesses, If any:

| Rank | Name | Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness) |
|---|---|---|
| – | – | – |

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

| Sr. No. | Exhibit Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी – 1 | नक्शा मौका मार्क ए |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | प्रदर्श पी – 1 ए | हालात मौका मार्क ए |
| 3 | प्रदर्श पी – 2 | नक्शा मौका मार्क बी |
| 4 | प्रदर्श पी–2 ए | हालात मौका मार्क बी |
| 5 | प्रदर्श पी–3 | पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी हंसराज |
| 6 | प्रदर्श पी–4 | फर्द जब्ती पिकअप |
| 7 | प्रदर्श पी–5 | लिखित रिपोर्ट |
| 8 | प्रदर्श पी–6 | चाक एफ.आई.आर. |
| 9 | प्रदर्श पी–7 व 7 ए | मूल जाति प्रमाण पत्र पीड़िता व फोटो प्रति |
| 10 | प्रदर्श पी–8 | पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी पीड़िता |
| 11 | प्रदर्श पी–9 | धारा 164 सीआरपीसी के बयान पीड़िता |
| 12 | प्रदर्श पी–10 | पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी पीड़िता की माता |
| 13 | प्रदर्श पी–11 | पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी पीड़िता के पिता |
| 14 | प्रदर्श पी–12 | पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी मदनलाल |
| 15 | प्रदर्श पी–13 | नक्शा मौका बनाये जाने हेतु दी गई तहरीर |
| 16 | प्रदर्श पी–14 | मेडिकल रिपोर्ट |
| 17 | प्रदर्श पी–15 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम आमीन |
| 18 | प्रदर्श पी–16 | फर्द जब्ती वाहन बोलेरो |
| 19 | प्रदर्श पी–17 | वाहन बोलेरो का मैकेनिकल मुआयना करवाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र |
| 20 | प्रदर्श पी–18 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम हरिराम |
| 21 | प्रदर्श पी–19 | लिखित रिपोर्ट |
| 22 | प्रदर्श पी–20 | वाहन पिकअप का मैकेनिकल मुआयना करवाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र |
| 23 | प्रदर्श पी–21 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को भेजा गया अग्रेषण पत्र |
| 24 | प्रदर्श पी–22 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को भेजा गया अग्रेषण पत्र |
| 25 | प्रदर्श पी–23 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को भेजा गया अग्रेषण पत्र |
| 26 | प्रदर्श पी–24 | प्राप्ति रसीद दिनांकित 05–02–2020 |
| 27 | प्रदर्श पी–25 | प्राप्ति रसीद दिनांकित 19–03–2020 |
| 28 | प्रदर्श पी–26 | एफ.एस.एल. रिपोर्ट |

**B. Defence:**

| Sr. No. | Exhibit Number | Description |
|---|---|---|
| – | – | – |

**C. Court Exhibits:**

| Sr. No. | Exhibit Number | Description |
|---|---|---|
| – | – | – |

**D. Material Objects:**

| Sr. No. | Material Object Number | Description |
|---|---|---|
| – | – | – |

**निर्णय** **दिनांक –19–08–2026**

1– भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के अनुसार एवं न्यायिक दृष्टांत दिनेश बनाम राज्य (2006)3 एससीसी 771 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है इसलिए इस निर्णय में उन्हें "पीड़िता" के नाम से संबोधित किया जा रहा है तथा पीड़िता के रिश्तेदार को भी उनके नाम से संबोधित न कर रिश्ते से संबोधित किया जा रहा है।

2– अभियोजन कहानी के अनुसार इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17–01–2020 को पीड़िता ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 16–01–2020 को रात्रि के करीब 9:00 बजे वह बछिया को घर में लाने के लिये घर से बाहर निकली, जिस समय उसके गांव का ही हरि गोदारा घात लगाये बैठा था, जिसने अपनी गाड़ी गेटवे बिना नम्बरी में उसका मुंह भींचकर जबरदस्ती डाल लिया और उसे अड़सीसर गांव के रास्ते पर गांव की आथुणी रोही में सुनी जगह पर ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जहां से घड़सीसर ले गया, जहां आमीन खां अपनी बोलेरो गाड़ी नम्बर आरजे10यूए0391 लेकर खड़ा था। हरि गोदारा ने उसे कहा कि अगर चिल्लाई तो उसे व उसके पूरे परिवार को जान से मरवा दूंगा, जिससे वह डर गई फिर उसे हरि गोदारा और आमीन खां ने जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में डाल दिया। उसके साथ आमीन खां ने बोलेरो में बीच वाली सीट पर डालकर जबरदस्ती बलात्कार किया। इसी दौरान उसके घर वालों ने उसकी ईधर–उधर तलाश की तो हरि गोदारा गांव में नहीं होने का पता चला तो उसके पिता मदनलाल ने हरि गोदारा के पिता आसूराम से हरि गोदारा को फोन करवाया तो उनके घड़सीसर में होने का पता चला तो वे गाड़ी करके घड़सीसर आये, जिन्हें देखकर हरि गोदारा भाग गया, किन्तु आमीन खां पकड़ में आ गया। उसे उसके घर वाले वापिस गांव लेकर आये, वगैरह–वगैरह।

3– उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरदारशहर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26–/2020 अपराध अन्तर्गत 376(d), 366 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 376(d), 366 भारतीय

दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में इस न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण हरिराम गोदारा व आमीन के विरूद्ध अपराध धारा 376(d), 366 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 376(d), 366 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो उन्होंने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5– अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में पी.डब्ल्यू.1 पीड़िता का भाई, पी.ड.2 पीड़िता, पी.ड.3 पीड़िता की माता, पी.ड.4 पीड़िता के पिता, पी.ड.5 मदनलाल, पी.ड.6 गुलाबराम व पी.ड.7 गिरधारीलाल शर्मा को परीक्षित करवाया और प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी.25 के रूप में विभिन्न दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाये।

6– अभियुक्तगण का धारा 313 द0प्र0सं0 में परीक्षण करवाया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

7– बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना बताते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया गया कि प्रकरण में न केवल स्वयं पीड़िता/परिवादिया, अपितु अन्य गवाहान पी.ड.1, पी.ड., पी.ड.3, पी.ड.4 व पी.ड.5 पक्षद्रोही घोषित रहे हैं, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहने से अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। सुना गया पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु अग्रलिखित प्रश्नों पर विचार करना है:–

1. **क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16–01–2021 की रात्रि को 9:00 बजे पीड़िता की इच्छा के विरूद्ध जबरन भय दिखाकर उसके साथ अयुक्त सम्भोग करने के लिए उसे विवश व विलुब्ध करने के लिए सहअभियुक्त के साथ पीड़िता का उसके पैतृक घर से बाहर से अपहरण कर मौजा अड़सीसर**

Authenticate Document

**गांव के रास्ते पर एवं बोलेरो गाड़ी में अभियोक्त्री की सहमति व इच्छा के विरूद्ध जबरन लैंगिक सम्भोग कर सामुहिक बलात्संग किया एवं पीड़िता को अनुसूचित जाति की होना जानते हुए उसके साथ भारतीय दंड संहिता के तहत दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित किया ?**

2. **यदि हॉ, तो उचित दण्ड क्या होगा?**

**8–** विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का परिशीलन कर विवेचन करें तो वर्तमान प्रकरण परिवादिया/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के आधार पर प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान प्रारंभ हुआ है तथा बाद अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

9– प्रकरण में स्वयं परिवादिया/पीड़िता बतौर पी.ड.2 के रूप में परीक्षित हुई है और इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयानों में स्वयं के साथ कोई बात नहीं होना और स्वयं द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया जाना, स्वयं का मेडिकल मुआयना भी नहीं होने, स्वयं थाने पर नहीं जाना स्वयं को ध्यान नहीं होना, डरा धमकाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिलवाना, घर परिवार वालों द्वारा जेल में देने का कहकर डराना, किस घर वाले का भय था, यह याद नहीं होना कथन किया है। यह गवाह स्वयं पक्षद्रोही घोषित रहीं है और विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में भी इस गवाह द्वारा इस बात को गलत बताया है कि दिनांक 16–01–2020 को रात्रि 9:00 बजे घर से बाछी लेने के लिए बाहर निकली हो और इस बात को भी गलत बताया है कि घर से बाहर निकलने पर मुलजिम हरिराम गोदारा गाड़ी लिये बाहर खड़ा हो और जबरदस्ती परिवादिया/पीड़िता को गाड़ी में डाल लिया हो। इस बात को भी गलत बताया है कि अड़सीसर गांव की आथूणी रोही में पीड़िता को ले गया हो और उसके साथ बलात्कार किया हो तथा आमीन खान को नहीं जानने और हरिराम द्वारा अमर के घर ले जाने से भी इन्कार किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में वाहन बोलेरो आरजे10 युए 0391 अमीर खान लिये हुए खड़ा हो, इस बात को भी गलत बताया है। इस बात को गलत बताया है कि हरिराम गोदारा और अमीर खान जबरदस्ती बोलेरो में डालकर ले गये हो और बोलेरो की बीच वाली सीट पर परिवादिया/पीड़िता के साथ बलात्कार किया हो। इस बात को भी गलत बताया है कि जहां से परिवादिया को ले गये और जहां पर बलात्कार किया वहां पुलिस आई हो और नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 पर परिवादिया/पीड़िता की अंगूठा निशानी करवाई हो। बलात्कार बाबत मेडिकल मुआयना होने

Authenticate Document

से भी इन्कार किया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है। इस गवाह को विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पृथक से यह पूछा गया कि आपके साथ जो घटना हुई, उससे इन्कार का क्या कारण है? इस पर गवाह द्वारा यह प्रकट किया गया कि उसके साथ कोई घटना हुई ही नहीं तथा परिवादिया/पीड़िता द्वारा हरिराम गोदारा के घर आना जाना नहीं होना एवं हरिराम क्या करता है, इस बारे में पता नहीं होना कथन किया है। इस गवाह से पूछने पर गवाह द्वारा न्यायालय में बयानों के लिए किसी ने नहीं डराया कथन किया है। इस बात को भी गलत बताया है कि मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो। इस गवाह द्वारा अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में स्वयं का पढ़ा लिखा नहीं होना और प्रदर्श पी–5 में सी से डी भाग में क्या लिखा हुआ है, इस बारे में पता नहीं होना, केवल गांव वालों द्वारा अंगूठा लगवाया जाना, प्रदर्श पी–8 पढ़कर नहीं सुनाना, प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 पर अंगूठा निशानी थाने में खाली कागज पर करवाया जाना, स्वयं का मेडिकल नहीं होना एवं डॉक्टर द्वारा खून, थूक आदि का कोई सैंपल नहीं लेना कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुई है और अभियोजन कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है।

10– प्रकरण में बतौर पी.ड.3 परिवादिया की माता परीक्षित हुई है, इसके द्वारा भी अपने सशपथ बयानों में आपस में जमीन का विवाद होना, जमीन का विवाद हरिराम के साथ होना, हरिराम द्वारा आधा बाड़ा लेने के लिए कहना, उसके बाद कुछ नहीं होना कथन किया है। यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित रहीं है और विशिष्ट लोक अभियोजक के द्वारा की गई जिरह में प्रकरण की परिवादिया/पीड़िता इस गवाह की पुत्री होना गवाह द्वारा स्वीकार किया गया है और इस बात को गलत बताया है कि इस गवाह की पुत्री अर्थात् प्रकरण की परिवादिया/पीड़िता के द्वारा हरिराम गोदारा के खिलाफ मुकदमा करवाया गया हो, गवाह द्वारा मुकदमा करवाने के पश्चात पुलिस आने से और बयान लेने, पूछताछ करने से भी इन्कार किया है। इसके अलावा इस गवाह द्वारा इस बात को गलत बताया है कि गवाह की पुत्री अर्थात् प्रकरण की परिवादिया/पीड़िता गाय को ढूंढने के लिए गई हो और काफी देर तक नहीं आई हो, बल्कि थोड़ी देर में आना कथन किया है। गवाह द्वारा इस बात को भी गलत बताया गया है कि पुलिस को गवाह द्वारा यह बताया गया हो कि हरिराम गवाह की पुत्री को गाड़ी में डालकर ले गया हो, इस बात को भी गलत बताया है कि हरिराम के घर गई हो, इस बात को भी गलत बताया है कि इस गवाह की पुत्री ने यह बताया हो कि हरिराम ने उसके साथ बलात्कार किया और अमीर भी उसके साथ था। पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 का ए से

बी भाग पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है। इस बात को गलत बताया है कि भय के कारण हरिराम से राजीनामा किया हो।

11– प्रकरण में गवाह पी.ड.5 के रूप में पीड़िता/परिवादिया के पिता को परीक्षित कराया गया है। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयानों में पांच छः साल पहले स्वयं के और हरिराम के बीच बाड़े का विवाद होना, बाड़ा वापिस हरिराम द्वारा कर देने पर विवाद खत्म हो जाना, हरिराम द्वारा इस गवाह की पुत्री अर्थात् परिवादिया को गाड़ी में बैठाकर ले जाना व गलत काम करने से इन्कार किया है और स्वयं की पुत्री के द्वारा उन्हें यह नहीं बताना कथन किया है कि हरिराम ने उसके साथ गलत काम किया हो। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में पुलिस द्वारा पूछताछ करने से इन्कार किया है और पुलिस बयान प्रदर्श पी–12 का ए से बी भाग व सी से डी भाग पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है तथा इस बात को गलत बताया है कि राजीनामा होने से मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

12– प्रकरण में गवाह पी.ड.1 जो कि पीड़िता का भाई है, ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि कोई मुकदमा नहीं कराया, पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस नहीं आई, ना ही पूछताछ की, ना ही हस्ताक्षर करवाये। इस गवाह द्वारा पीड़िता स्वयं की बहिन होना कथन किया है और पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया हो तो ध्यान नहीं होना कथन किया है। पीड़िता के साथ कोई बात नहीं होना कथन किया है। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है और विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में यद्यपि गवाह द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 मार्क ए व मार्क बी प्रदर्श पी–2 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु पुलिस घर आई हो और नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया हो, यह याद नहीं होना कथन किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा हस्ताक्षर सादे कागज पर करवाया जाना कथन किया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना, पुलिस द्वारा गलत लिखा होना कथन किया है। इस बात को गलत बताया है कि इस गवाह की बहिन गाय लाने के लिए बाहर गई हो और काफी देर तक नहीं आई हो और उसकी तलाश की हो। इस बात को भी गलत बताया है कि रात्रि 2:30 बजे बोलेरो गाड़ी में हरिराम गवाह की बहिन को लेकर आया हो और हरिराम ही उसकी बहिन को ले जाकर सुनसान जगह में उसके साथ बलात्कार किया हो तथा पुलिस को यह बताने से इन्कार किया है। इस बात को गलत बताया है कि मुलजिमान को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। अभियुक्तगण की ओर से की गई जिरह में प्रदर्श पी–5 पुलिस द्वारा लिखना और इसमें क्या लिखा यह पढ़कर नहीं सुनाना तथा पुलिस बयान

प्रदर्श पी–5 का हिस्सा सी से डी नहीं लिखाना, नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाया जाना कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित रहा है और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है।

13– गवाह पी.ड.4 जो कि पीड़िता का भाई है, ने अपने सशपथ बयानों में भी आपस में जमीन का विवाद हरिराम के साथ होना, हरिराम द्वारा आधा बाड़ा लेने के लिए कहना और कुछ नहीं होना कथन किया है, यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित रहा है और विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में इस बात को गलत बताया है कि इस गवाह की बहिन (प्रकरण की परिवादिया) द्वारा हरिराम वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हो तथा इस बात को भी गलत बताया है कि हरिराम इस गवाह की बहिन को गाड़ी में डालकर ले गया हो और बलात्कार किया हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है। इस बात को गलत बताया है कि हरिराम के भय से झूठे बयान दे रहा हो।

14– गवाह पी.ड.6 गुलाबराम द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है। अभियुक्तगण की ओर से की गई जिरह में प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर पुलिस द्वारा थाने में बुलाया जाकर करवाया जाना, उस समय खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाया जाना कथन किया है।

15– प्रकरण में गवाह पी.ड.7 गिरधारीलाल शर्मा को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अनुसंधानकर्ता अधिकारी के रूप में परीक्षित कराया गया है, का अपने मुख्य परीक्षण में कथन रहा है कि दिनांक 17–01–2020 को वह वृताधिकारी वृत सरदारशहर के पद पर पदस्थापित था, जिसे उस दिन मुकदमा नम्बर 26/2020 पी.एस. सरदारशहर की अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–6 है, जिन पर सी से डी भाग में पृथ्वीराज पुलिस उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है, जिसके हस्ताक्षर स्वयं के अधीनस्थ होने से जानने का कथन किया गया है। गवाह दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका मार्क ए प्रदर्श पी–1 व हालात मौका प्रदर्श पी–1 ए बनाये जाने, नक्शा मौका मार्क–बी जहां अभियुक्त आमीन द्वारा मुस्तगीसा के साथ किये गये बलात्कार का स्थान प्रदर्श पी–2 है। मुस्तगीसा का जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श पी–9 ए प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं द्वारा मुस्तगीसा के साथ अभियुक्त हरिराम गोदारा ने जिस स्थान पर दुष्कर्म किया, उसका नक्शा मौका बनाने बाबत लिखित तहरीरी प्रदर्श पी–13 दिये जाने एवं प्रदर्श पी–13 के ए से बी भाग में स्वयं के हस्ताक्षर होने व सी से डी मुस्तगीसा का जवाब,

Authenticate Document

जिसमें पीड़िता ने बताया है कि हरिराम गोदारा ने सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण वह जगह अब वह नहीं बता सकती। मुस्तगीसा का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–14 करवा कर शामिल पत्रावली करने, दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा के बयान स्वयं के निर्देशानुसार महिला कांस्टेबल अन्नु कंवर से लेखबद्ध करवाने, गवाह पीड़िता के माता–पिता व भाईयों के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करने का कथन किया गया है। गवाह मुस्तगीसा के धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी–9 करवाये जाकर शामिल कर अनुसंधान से मुलजिम आमिन के विरूद्ध धारा 366, 376 डी आई.पी.सी. व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त आमिन को जरिये फर्द प्रदर्श पी–15 गिरफ्तार कर आरोपी आमिन से उसके द्वारा उपर्युक्त अपराध में प्रयुक्त की गई वाहन बोलेरो आर.जे.10 युए 0391 जरिये फर्द प्रदर्श पी–16 जब्त करने तथा जब्तशुदा वाहन का मेकेनिकल मुआयना करवाकर शामिल पत्रावली करने, वाहन के कागजात फिटनेश, आरसी आदि प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने, आमिन का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल करवाया जाकर रिपोर्ट की फोटो प्रति शामिल पत्रावली करने का कथन किया गया है। दिनांक 05–03–2020 को मुकदमे की वांछित मुलजिम हरिराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी–18 गिरफ्तार करने, मुलजिम हरिराम का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर फोटो प्रति शामिल पत्रावली करने एवं दौराने अनुसंधान पीड़िता एवं पीड़िता के भाई द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट स्वयं के समक्ष पेश करने, घटना के दिन गेटवे गाड़ी नहीं होकर पीकअप वाहन नम्बर आरजे49 जीए 2218 मुलजिम के बहनोई की होने एवं उसी से उसका अपहरण कर अपराध कारित करने का कथन किया गया है, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–19 है। गवाह वाहन पिकअप आरजे49 जीए 2218 को वाहन मालिक फरसाराम द्वारा वृत कार्यालय लाकर स्वयं के समक्ष पेश करने पर प्रकरण में वांछित होने पर स्वयं द्वारा वाहन को जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 जब्त कर वाहन के संबंध में कागजात प्राप्त कर फोटो प्रति शामिल पत्रावली करने तथा वाहन का मेकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–20 करवाकर उसे शामिल पत्रावली करने का कथन किया गया है। गवाह स्वयं द्वारा पीड़िता एवं मुलजिमान के पैकेट्स अस्पताल में लिये गये मेडिकल ज्यूरिष्ठ द्वारा ब्लड सेंपल, एफटीए कार्ड आदि का जांच कराने हेतु निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को एसपी साहब के द्वारा लिखित पत्र प्रदर्श पी–21 लगायत 23 होने तथा एफ.एस.एल. में जांच कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–24, 25 होने का कथन किया गया है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रोजनामचा की रवानगी व वापसी एवं एफ.एस.एल. से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी–26

Authenticate Document

को शामिल पत्रावली करने का कथन किया गया है। गवाह संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान आमिन व हरिराम के विरूद्ध धारा 366, 376डी भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी का अपराध प्रमाणित मानकर मुलजिमान के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किये जाने का कथन किया है। जिरह में गवाह द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–5 किससे व कहां से लिखकर लाये, यह बताने में असमर्थ है। इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–5 में परिवादिया के कहीं चोट लगने व चोट के निशान आदि का इन्द्राज नहीं है। इस बात को भी स्वीकार किया है कि अगर चोटे लगी होती तो कार्यवाही पुलिस में अंकन होता। इस बात को भी स्वीकार किया है कि हरिराम द्वारा पीड़िता के साथ जहां पर बलात्कार किया गया उस स्थान का नक्शा मौका नहीं बनाया गया। इस बात को भी स्वीकार किया है कि आरोपी हरिराम द्वारा भी बलात्कार के स्थान का नक्शा मौका नहीं बनाया गया, क्योंकि धारा 27 की इत्तिला नहीं दी गई। प्रदर्श पी–2 में एक्स स्थान आम सड़क होना, जिस पर वाहनों का आवागमन भी होना कथन किया है। पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए साथ में नहीं जाना कथन किया है।

16– इस प्रकार प्रकरण में न केवल स्वयं प्रकरण की पीड़िता जो बतौर पी.ड.2 परीक्षित हुई है, पक्षद्रोही घोषित रहीं है, अपितु पीड़िता के माता पिता पी.ड.3 व पी.ड.4 एवं पीड़िता के भाई पी.ड.1 व पी.ड.5 के रूप में परीक्षित हुए है, किन्तु समस्त पक्षद्रोही घोषित रहे हैं और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि प्रकरण में पीड़िता के मेडिकल जांच प्रदर्श पी–14 एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित सैंपल प्रदर्श पी–21, प्रदर्श पी–22 व प्रदर्श पी–23 प्रेषित किये जाने के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 प्रस्तुत की गई है, किन्तु इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रकरण में परिवादिया एवं परिवादिया के माता पिता, भाई आदि के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है, जो कि सारभूत व मूलभूत साक्षी प्रकरण में यद्यपि अभियोजन पक्ष की ओर से मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 प्रस्तुत की गई है, किन्तु मेडिकल रिपोर्ट व वैज्ञानिक साक्ष्य यथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट सम्पोषक साक्ष्य के रूप में अनुज्ञेय है, ना कि सारभूत साक्ष्य के रूप में। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के न्यायिक दृष्टांतः–

**S.B. Criminal Leave To Appeal No. 667/2024 State of Rajasthan Vs Shyam kumar Date 09–10–2025** में सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार हैः–

Authenticate Document

Now the question which remains for consideration before this Court is whether in absence of any clear and specific allegation of rape/sexual assault, the accused can be convicted for the offence of rape simply on the basis of DNA report?

11. For the same, this Court considers the two judgments passed by the Division Bench of this Court in the case of **Dalla Ram Vs. State of Rajasthan** reported in **2022 (1) RLW 65 (Raj.)** and **Bhagwan Bairwa Vs. State of Rajasthan** while deciding **D.B. Criminal Appeal No.357/2022** dated 02.02.2023.

12. The Division Bench of this Court in the case of Dalla Ram (supra) has held in Para Nos.16 and 20 which read as under:

> **"16. This Court fails to understand how a person can be convicted solely on the basis of Report of DNA Examination, which is not corroborative piece of evidence. It is strange to note that learned trial court in the impugned judgment also relied upon the police statement of the witnesses..... . 20. Learned trial court has also erred in applying presumption under Sections 29 and 30 of the POCSO Act. This presumption can only be drawn only when prosecution succeeds to prove that any sexual assault has been committed with the victim by the accused."**

13. Similarly, in the case of **Bhagwan Bairwa Vs. State of Rajasthan** while deciding **D.B. Criminal Appeal No.357/2022** dated 02.02.2023, the Division Bench of this Court has held in Para No.11 as under:

> **"11. Apart from this, a DNA report is merely an opinion of the expert and evidenciary value of the DNA is only corroborative. On the basis of such a corroborative piece of evidence, no conviction can be recorded in absence of**

**substantial evidence particularly when the prosecutrix and her family members have not supported the prosecution case. The medical expert also did not find any sign of sexual assault on the person of the prosecutrix. It may also be noted that DNA is a developing science and the chance of human error in the results cannot be ruled out. Thus, conviction solely based upon DNA report is not safe. We fortify our view from the law laid down by the Hon'ble Apex Court in case of Manoj and Ors. Vs. State of Madhya Pradesh MANU/SC/0711/2022."**

14. The aforesaid judgments have been passed by the Division Bench of this Court on the basis of the judgments passed by the Hon'ble Apex Court wherein on several occasions it has been held that a person cannot be convicted solely on the basis of DNA report and the same cannot be treated as corroborative piece of evidence.

18– इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में न केवल पीड़िता बल्कि पीड़िता की माता पी.ड.–3, पिता पी.ड.4 एवं इसके दोनों भाई पी.ड.1 व पी.ड.5 पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित रहे हैं, जिनके द्वारा लैशमात्र भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में केवल मेडिकल रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मामला संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचनानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण हरिराम व आमीन को धारा 366, 376 डी भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

19– अतः अभियुक्तगण हरिराम गोदारा पुत्र आशुराम निवासी पाटमदेसर पुलिस थाना, सरदारशहर जिला–चुरू (राज.) व आमीन पुत्र अली खां निवासी घड़सीसर पुलिस थाना,

सरदारशहर जिला–चूरू (राज.) को अपराध धारा 366, 376 डी भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में अपराध आदि किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आहत को प्रतिकर दिलाये जाने की अभिशंषा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तगण धारा 437 ए द0प्र0सं0 के तहत् पच्चीस हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावें कि अपीलीय या उच्चतर न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वे उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण के नियमित पेशी बाद प्रस्तुत जमानत मुचलके (धारा 437 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत मुचलकों से भिन्न) निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा पीड़िता एवं अभियुक्तगण के पारचात एवं सैंपल बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किये जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन RJ10UA0391 व वाहन पिकअप RJ49GA2218 सुपुर्दगी पर है, जो सुपुर्दगीदार के पास रहे।

(कमल सोनी)

20– निर्णय आज दिनांक 19–08–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(कमल सोनी)

MAHESH KUMAR BOHRA

Digitally signed by MAHESH KUMAR BOHRA
Date: 2026.08.21 14:29:09 +0530

Authenticate Document